2013 का विधेयक सं.27

जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 2 अगस्त, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 की धारा 9 का संशोधन.- जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं.10), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में विद्यमान उप-धारा (3), (4) और (5) हटायी जायेंगी।

3. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 में नयी धारा 9-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के पश्चात् और धारा 10 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा 9-क अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"9-क. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी, जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त

कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वाविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।"।

4. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) खण्ड (iii) के अन्त में आया हुआ विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iv) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (iii-क) नियंत्रक; और"।

5. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-]

"11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा ।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी ।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये ।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

6. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 की धारा 15 में नये खण्ड (iv-क) का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की धारा 15 के विद्यमान खण्ड (iv) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (v) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv-क) वित्त समिति;"।

7. 1998 के राजस्थान अधिनियम सं.10 में नयी धाराओं का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 32 के पश्चात् और

विद्यमान धारा 33 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"32-क. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ कार्यकारी परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और कार्यकारी परिषद् इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगी जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी ।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

32-ख. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-

साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिससे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

32-ग. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से

संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।"।

17. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) जगद~गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 17) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदा कदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर हैं।

अत:, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की कुछ धाराओं को संशोधित करने और कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया था, अर्थात्, कुलाधिपति की निरीक्षण की शक्तियां, कुलपति की नियुक्ति की पद्धति, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, कुलपति की सेवा की अन्य शर्तें, लेखे और संपरीक्षा, राज्य सरकार की निधियों के संबंध में राज्य सरकार का नियंत्रण और आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा।

चूंकि राजस्थान विधानसभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 2 अगस्त, 2013 को जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.17)

प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

बृजकिशोर शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 5 और 7, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमश: प्रस्तावित धारा 11(3) के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां, और प्रस्तावित धारा 32-क(2) के अधीन ऐसी तारीख, जिससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

बृजकिशोर शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998(1998 का अधिनियम सं.10) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx xx

9. कुलाधिपति.- (1) से (2) **xx xx xx xx xx**

(3) कुलाधिपति, को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा, जिसे या जिन्हें वे नामनिर्दिष्ट करें, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कर्मशालाओं, उपस्करों तथा परीक्षाओं के और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या अनुरक्षित किसी भी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास के, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य के भी निरीक्षण का आदेश देने या उनके संबंध में किसी जांच के संचालन का निदेश देने की शक्ति होगी। कुलाधिपति के निदेशों के अनुसार कोई भी निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी भी विषय के संबंध में की जा सकेगी। कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय का नोटिस विश्वविद्यालय को देंगे तथा उस मामले में विश्वविद्यालय अपना पक्ष-कथन प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के बारे में कुलपति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जो वे उचित समझें।

(5) यदि कुलपति युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करे तो कुलाधिपति, कुलपति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जो वे उचित समझें और विश्वविद्यालय उनका पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(6) से (8) **xx xx xx xx xx xx**

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(i) से (ii) XX XX XX XX XX

(iii) सभी संकायाध्यक्ष; और

(iv) XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर, और उस पर राज्य सरकार की सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें कुलाधिपति अवधारित करें, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से या उससे संबद्ध किसी भी महाविद्यालय से या उसकी किसी भी अनुमोदित संस्था से संबद्ध न हों;

(ii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विख्यात शिक्षाविद्; और

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति।

(3) कुलाधिपति उप-धारा (2) के अधीन गठित चयन समिति के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन गठित चयन समिति कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन नामों की सूची कुलाधिपति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(5) कुलपति की पदावधि, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु कुलपति के रूप में द्वितीय पदावधि के लिए नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश के अध्यधीन ही पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति ऐसे कुलपति से, जिसकी पदावधि समाप्त हो रही है, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे:

परन्तु यह भी कि इस प्रकार की द्वितीय पदावधि के लिए नियुक्ति या पद पर बने रहना, किसी भी दशा में उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय नहीं होगा।

(6) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके हित के विरुद्ध परिवर्तित नहीं की जायेंगी।

(7) कुलपति उस तारीख से, जिसको वह कार्यमुक्त होने का आशय रखता हो, साठ दिन से अन्यून पूर्व कुलाधिपति को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) ऐसा त्याग-पत्र कुलाधिपति द्वारा अवधारित की गयी और कुलपति को सूचित की गयी तारीख से प्रभावी होगा।

(9) कुलपति के पद की ऐसी स्थायी रिक्ति, जो पदावधि के समाप्त होने के कारण न होकर छुट्टी, बीमारी, त्याग-पत्र या किसी भी

अन्य कारण से होने वाली हो या हुई हो, उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार भरी जायेगी।

(10) कुलपति के पद की छुट्टी, बीमारी या किसी भी अन्य कारण से कोई अस्थाई रिक्ति होने पर कार्य परिषद् उसकी रिपोर्ट कुलाधिपति को करेगी और कुलाधिपति राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों का निवर्हण जारी रखने के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे जो वे उचित समझें।

XX XX XX XX XX XX

15. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:-

(i) कार्य परिषद्;

(ii) विद्या परिषद्;

(iii) संकाय;

(iv) अध्ययन बोर्ड;

(v) निरीक्षण बोर्ड; और

(vi) ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 27 of 2013

THE JAGADGURU RAMANANDACHARYA RAJASTHAN SANSKRIT UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 2nd August, 2013.

2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- In section 9 of the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998 (Act No. 10 of 1998), hereinafter referred to as the principal Act, the existing sub-sections (3), (4) and (5) shall be deleted.

3. Insertion of new section 9-A, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- After the existing section 9 and before the existing section 10 of the principal Act, the following new section 9-A shall be inserted, namely:-

"**9-A. Visitation.**- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct-

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof. ".

4. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- In section 10 of the principal Act,-

(i) in clause (iii), the existing word "and" occurring at the end shall be deleted; and

(ii) after the clause (iii) so amended and before the existing clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iii-a) Comptroller; and".

5. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**11. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall

be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of-

(a) one person nominated by the Executive Council not connected with the University or any college thereof;
(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
(c) one person nominated by the Chancellor; and
(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

6. Insertion of new clause (iv-a) in section 15, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- After the existing clause (iv) and before the existing clause (v) of section 15 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iv-a) Finance Committee;".

7. Insertion of new sections, Rajasthan Act No. 10 of 1998.- After the existing section 32 and before the existing section 33 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**32-A. Accounts and audit.-** (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Executive Council together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Executive Council may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Executive Council which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

32-B. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;

(b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;

(c) grant of any additional/ special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees

(d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;

(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;

(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above condition shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

32-C. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.".

8. Repeal and savings.- (1) The Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 17 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the University and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which University can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it had been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, method of appointment of Vice-Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, accounts and audit, control of the State Government regarding State Government funds and assumption of financial control by the State Government as emergency measure in the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 17 of 2013) on 2nd August, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 5th August, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

बृजकिशोर शर्मा,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 5 and 7 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 11 (3) and the date before which annual financial estimates for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 32-A (2) respectively

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

बृजकिशोर शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE JAGADGURU RAMANANDACHARYA RAJASTHAN SANSKRIT UNIVERSITY ACT, 1998

(Act No. 10 of 1998)

XX XX XX XX XX XX

9. Chancellor.- (1) to (2) xx xx xx xx xx

(3) The Chancellor shall have power to order an inspection, by such person or persons as he may nominate, of the University and its buildings, centres, libraries, museums, workshops, equipments and examinations and also of any institution, college or hostel administered, controlled or maintained by the University as well as of the examinations, teaching and other work conducted by the University or to direct the conduct of an inquiry relating thereto. An inspection may be made or inquiry may be conducted in respect of any matter connected with the administration of the University or Finance as per directions of the Chancellor. The Chancellor shall in every case, give notice to the University of his intention to make the inspection or to conduct the inquiry and in that case the University may present its case.

(4) The Chancellor may give such directions to the Vice-Chancellor, about the results of such inspection or inquiry, as he thinks proper.

(5) If the Vice-Chancellor does not, within reasonable time take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor, may after considering the explanation or report, if any, submitted by the Vice-Chancellor, issue such directions, as he may deem proper, and the University shall be bound to comply with them.

(6) to (8) xx xx xx xx xx xx

10. Officers of the University.- The following shall be the officers of the University:-

(i) to

(ii) xx xx xx xx xx xx

(iii) All Deans; and

(iv) xx xx xx xx xx xx

11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee, and after obtaining the advice of the State Government thereon:

Provided that the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government, on such terms and conditions as the Chancellor may determine and for a period not exceeding three years.

(2) The Selection Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following :-

(i) a person nominated by the Executive Council who should not be connected with the University, or any college affiliated to the University or any approved institution thereof;

(ii) one eminent educationist nominated by the Chancellor; and

(iii) one person nominated by the University Grants Commission.

(3) The Chancellor shall appoint one of the members of the Selection Committee constituted under sub-section (2) to act as the Chairman of the Committee.

(4) The Selection Committee constituted under sub-section (2) shall submit a panel of atleast three names, for appointment to the post of Vice-Chancellor, for the consideration of the Chancellor.

(5) The term of office of the Vice-Chancellor, shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier:

Provided that a person shall be eligible for appointment as Vice-Chancellor for a second term of office, subject to the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (1):

Provided further that the Chancellor may require the Vice-Chancellor, whose term of office is expiring, to continue in office

for such period, not exceeding one year, as may be specified by the Chancellor:

Provided also that such appointment for a second term, or such continuance in office shall, in no case, be permissible beyond the date on which he attains the age of sixty five years.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as may be prescribed by the statutes, and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(7) The Vice-Chancellor may submit his resignation to the Chancellor not less than sixty days before the date on which he intends to be relieved.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and notified to the Vice-Chancellor.

(9) Such permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor as is going to occur or has occurred, by reason of leave, illness, resignation or any other cause and not of the expiry of the term of office, shall be filled, in accordance with the provisions of sub-section (1).

(10) A temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurring by reason of leave, illness or any other cause shall be reported by the Executive Council to the Chancellor and the Chancellor shall, on the advice of the State Government, make such arrangements for the continuance of the discharge of functions of the office of the Vice-Chancellor as he may deem proper.

XX XX XX XX XX XX

15. Authorities of the University .-The following shall be the authorities of the University :-

(i) Executive Council ;
(ii) Academic Council;
(iii) Faculties ;
(iv) Board of studies ;
(v) Board of inspection ; and
(vi) Such other bodies as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

XX XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं.27

जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

जगद~गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 27 of 2013

THE JAGADGURU RAMANANDACHARYA RAJASTHAN SANSKRIT UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Brijkishore Sharma, **Minister-Incharge**)